

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 30] No. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2014/पौष 17, 1935

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2014/PAUSHA 17, 1935

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2014

का.आ. 30(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 16) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जनवरी, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध गोवा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सभी संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[सं. एस-12011/13/2007-एमएस]

अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# (Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2014

**S.O. 30(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (16 of 2011), the Central Government hereby appoints the 10th day of January, 2014, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the States of Goa, Himachal Pradesh, West Bengal and in all the Union Territories.

[No. S-12011/13/2007-MS]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.